दैनिक भास्कर

35 वाणिज्यिक अदालतें बंद कर पूरे राज्य का क्षेत्राधिकार जयपुर किया, सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनौती

राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने दायर की जनहित याचिका, विभिन्न जिलों में सैकड़ों प्रकरण लंबित

लीगल रिपोर्टर | जोधपुर

विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिव द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट की सलाह को आधार बताकर राज्य में 20 अप्रैल 2016 से गठित 35 वाणिज्यिक अदालतों को बंद कर पूरे राज्य का क्षेत्राधिकार सिर्फ जयपुर कर दिए जाने को राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी ने जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी है। जनहित याचिका में कहा गया है, कि विधि आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने त्वरित व सुलभ न्याय के उद्देश्य से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम बनाया, जिसमें प्रत्येक जिले में इसकी स्थापना करने की मंशा जाहिर की गई। अब अचानक राज्य में कार्यरत 35 वाणिज्यिक न्यायालयों को हाईकोर्ट की सलाह के नाम पर बंद करना समझ से परे है, जबकि इन न्यायालयों में सैकड़ों प्रकरण लंबित हैं।

एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता अनिल भंडारी, सुनील भंडारी, रमित मेहता, विनीत दवे, अविनाश आचार्य, रमन खरलिया और दिनेश चौधरी ने जनहित याचिका में कहा, कि विधि आयोग की 188वीं रिपोर्ट पर संसद में वर्ष 2009 में बिल पेश किया गया। वह बिल विधि आयोग को पुनः परीक्षण के लिए भिजवा दिया गया। विधि आयोग की 253वीं रिपोर्ट के बाद वर्ष 2015 में 'वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक डिविजन व वाणिज्यिक अपीलेट डिविजन हाईकोर्ट अध्यादेश' केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया। अंतरराष्ट्रीय दबाव को देखते हुए इसे उसी वर्ष संसद के दोनों सदनों में पारित कर अधिनियम बनाया गया। अधिनियम में एक करोड़ रुपए से अधिक वैल्यूएशन वाले 22 तरह के वाद जिले में स्थापित वाणिज्यिक न्यायालय में पेश कर सकने का प्रावधान रखा गया। त्वरित व सुलभ न्याय के उद्देश्य और केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में 35 वाणिज्यिक न्यायालय गठित करने की अधिसूचना गत वर्ष 20 अप्रैल को जारी की और 21 अप्रैल को राजस्थान हाईकोर्ट ने इस बाबत दिशा-निर्देश जारी कर दिए। इसी के अनुरूप गठित सभी वाणिज्यिक न्यायालयों में नए वाद दायर हो गए और कई प्रकरण इन वाणिज्यिक न्यायालयों में हस्तांतरित हुए। इसी क्रम में राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर और जयपुर पीठ में खंडपीठ गठित करने की अधिसूचना गत वर्ष 6 मई को जारी की गई। अब राज्य के प्रमुख विधि शासन सचिव ने इस वर्ष 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर सभी 35 वाणिज्यिक न्यायालयों को खंडित कर यह फरमान जारी कर दिया, कि इनसे वाणिज्यिक न्यायालय का काम तत्काल वापस लिया जाता है। इसके साथ ही पूरे राज्य का एकमात्र क्षेत्राधिकार जयपुर कर दिया गया।

याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई की संभावना

याचिका में बताया गया, कि गत 24 अक्टूबर को अपर जिला व सेशन न्यायाधीश महानगर जयपुर को वाणिज्यिक न्यायालय का अतिरिक्त कार्यभार भी दे दिया गया। राज्य सरकार ने ऐसा करने से पहले विधि एवं न्याय मंत्रालय से कोई सलाह तक नहीं ली। याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के पक्षकार होने से मुख्य न्यायाधीश ही तय करेंगे, कि इस जनहित याचिका की सुनवाई कौनसी खंडपीठ करेगी। इस पर संभवतया अगले सप्ताह सुनवाई होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता मघराज सिंघवी, आनंद पुरोहित व अन्य सहयोगी अधिवक्ता एसोसिएशन की ओर से पैरवी करेंगे।